आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : वाराणसी,जनपद : जौनपुर,तहसील : शाहगंज
वाद संख्या : 02015/2021
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T202114360402015
सूर्यभान यादव बनाम सरकार
अंतर्गत धारा :- 80, अधिनियम:- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

बाबा द्वारिका दास हरि ट्रस्ट, डेहरी, शाहगंज, जौनपुर जरिये प्रबन्धक सूर्यभान यादव निवासी डेहरी, परगना–अंगुली, तहसील–शाहगंज, जौनपुर ने आराजी संख्या 1047, 1048, 1051, 1052, 1045 एवं 1058 रकबा 2.798हे0 मौजा सारीजहांगीरपट्टी, परगना–अंगुली, तह0–शाहगंज, जिला–जौनपुर के बावत धारा 80 रा0सं0 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रस्नगत प्रार्थना पत्र के आलोक में तहसील में हलका लेखपाल/राजस्व निरीक्षक/नायब तहसीलदार/तहसीलदार शाहगंज की जाँच आख्या दिनांक 18.07.2021 नियत प्रारूप पर प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली है। हलका लेखपाल/राजस्व निरीक्षक/ नायब तहसीलदार/तहसीलदार सदर ने इस आशय की जाँच आख्या प्रेषित किया है कि सारीजहांगीरपट्टी, परगना–अंगुली, तह0–शाहगंज, जिला–जौनपुर में स्थित आराजी संख्या 1047, 1048, 1051, 1052, 1045 एवं 1058 रकबा 2.798 हे0 में से 1.294हे0 पर खतौनी अभिलेख में बाबा द्वारिका दास हरि ट्रस्ट, डेहरी, शाहगंज, जौनपुर जरिये प्रबन्धक सूर्यभान यादव निवासी डेहरी, परगना–अंगुली, तहसील–शाहगंज, जौनपुर का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। उक्त आराजियात के 0.258हे0 रकबे पर पक्का मकान, परती व सहन है। मौके पर जोता बोया नहीं जाता है तथा अकृषिक है। गाटा सं0 1047, 1048, 1051, 1052, 1045 एवं 1058 रकबा 2.798हे0 में से 1.294हे0 गैर कृषिक घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। प्रकरण व्यवसायिक होने के कारण प्रार्थी द्वारा सर्किल रेट के मुताबिक 1 प्रतिशत मु0 61000/– रू0 उद्घोषणा शुल्क (भारतीय स्टेट बैंक शाखा जौनपुर में जमाकोष करके चालान की मूल प्रति) तथा धनराशि मु0 61000/– रु0 का न्याय शुल्क भारतीय कोर्ट फी स्टैम्प पेपर प्रस्तुत किया गया है। ऐसी दशा में हलका लेखपाल/राजस्व निरीक्षक/नायब तहसीलदार/तहसीलदार शाहगंज की जाँच आख्या दिनांक 18.07.2021 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि सारीजहांगीरपट्टी, परगना–अंगुली, तह0–शाहगंज, जिला–जौनपुर की गाटा संख्य1047, 1048, 1051, 1052, 1045 एवं 1058 रकबा 2.798 हे0 में से 1.294हे0 का मालगुजारी मुताबिक 60–ख कृषि से भिन्न प्रयोजन में प्रयुक्त होना घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति तहसीलदार शाहगंज एवं उपनिबन्धक शाहगंज को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

(राजेश कुमार)
उपजिलाधिकारी
शाहगंज–जौनपुर